

27/11/14 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/12/14
को पेश हो।

16/12/14 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/12/14
को पेश हो।

25/12/14 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/1/15
को पेश हो।

4/1/15 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपास्थित
सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 24/1/15 को पेश हो।

27/1/15 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/2/15
को पेश हो।

27/2/15 पत्रावली पेश हुई। अभिलेखक सभा ने
कार्यवाही के लिये पत्रावली पेश कर
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 25/4/15 को पेश हो।

25/04/15

पत्रावली पेश हुई। वकील जगदीश उपा. उपा. उपा.
में काहेस वकील जगदीश एक पत्रावली सुनी गई। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार
रिपोर्ट जारी को लाबिल ख. नं. 234 में कृषि अधिनियम
है है जिसके नर ख. नं. 312 व 313 हैं जबकि

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

प्रार्थना हुई थी ख. नं. सावित्री 545 नए
ख. नं. 715, 716 में कलमा चारता है जो वन
विभाग की खातेदारी में स्थित है जिसको प्रकरण
में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उपरोक्त
तथ्यों के आधार पर प्रार्थना का अ. प्र. 136
136 L.R. Act अधून एवं विचालनीय नहीं है
पर खातेज किया जाता है। पत्रावली केसल
सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तर्काल
दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया

